TR-2168
18-11-17

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक-........-4213-2017
दिनांक 17/11/2017

कार्यालय आदेश

प्राचार्य / प्रबन्धक,
समस्त सम्बद्ध स्ववित्त पोषित महाविद्यालय
डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा

अवगत कराना है कि कुलपति जी के आदेश दिनांक 16.11.2017 के कम में स्थायी / अस्थायी स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में पठन पाठन का कार्य कर रहें शिक्षकों का अनुमोदन पॉच वर्ष पूर्ण होने पर शासनादेश संख्या 2218 / सत्तर–2—2011–16(409) / 2010 दिनांक 23.08.2011 के अनुपालन में कार्यरत शिक्षकों का पुनः विश्वविद्यालय से अनुमोदन कराना अनिवार्य है साथ ही ऐसे कार्यरत शिक्षक जो एक से अधिक महाविद्यालय में कार्यरत हैं, का अनुमोदन निरस्त किया जाता है।

अतः आप को यह आदेशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर उक्त पाठ्यकम में पॉच वर्ष से अधिक अनुमोदित शिक्षको का पुनः अनुमोदन तथा एक से अधिक महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षको के स्थान पर नये शिक्षक का नियमानुसार चयन कराकर, शिक्षकों के अनुमोदन हेतु विश्वविद्यालय से अनुमोदन की प्रकिया पूर्ण करा लें, अन्यथा की स्थिति में सत्र 2017–18 की प्रश्नगत् पाठ्यकम की परीक्षा एवं अगले सत्र 2018–19 में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षक कुलपति कार्यालय, कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. अधीक्षक कुलसचिव कार्यालय, कुलसचिव जी के अवनलोकनार्थ।
3. अधीक्षक परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, परीक्षा नियंत्रक जी के अवलोकनार्थ।
4. उपकुलसचिव गोपनीय / परीक्षा विभाग।
5. विश्वविद्यालय ऐजेन्सी 2015–17 का इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को आज ही विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर एवं समस्त महाविद्यालयों की लॉगिन आई0डी0 पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाईल

कुलसचिव